न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

फैसल दिनांक
29.10.2021

प्रकरण संख्या
26/2021 प्रा0प0

उनवान

...रलाल दत्तक पुत्र चुना जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रेवलिया कलां तहसील भदेसर

...............प्रार्थी

।। बनाम ।।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

.... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– श्री प्रवीण जोशी वकील प्रार्थी

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम रेवलिया कलां पटवार हल्का रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर की खाता सं. 116 में दर्ज आराजी नं0 632 रकबा 0.08 हैक्टेयर । स्थित है साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2076 संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के गोद पिता के पिता का नाम पेमा दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी के गोद पिता के पिता का वास्तविक नाम दयाराम होकर प्रार्थी के राशन कार्ड,आधार कार्ड आदि सरकारी दस्तावेजो में प्रार्थी के गोद पिता के पिता का नाम दयाराम अंकित है एवं इसी नाम से जाना पहचाना जाता है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में सह... के गोद पिता के पिता का नाम दयाराम के बजाय पेमा दर्ज हो गया है। इसलिए राजस्व ... अपने गोद पिता के पिता का नाम पेमा के बजाय दयाराम अंकित करा दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि... प्रार्थी ने हक हिस्से वाली आराजीयात पर केसीसी ऋण के लिए आराजीयात की नकल प्रा... पर प्रार्थी को उक्त त्रुटि की जानकारी हुई। जानकारी होते ही उक्त त्रुटि दुरूस्त कर शुद्धिकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:12:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

ाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की लम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के गोद पिता के पिता का नाम ा के वजाय दयाराम अंकित जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण प्रशासान गांव के संग अभियान 2021 शिविर नाहरगढ़ दिनांक 29.10.2021 में स्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी ाक्ष्य प्रस्तुत किए गये।

1. नकल जमाबन्दी मौजा रेवलिया कलां खाता संख्या 116 संवत् 2076
2. प्रार्थी के पिता का आधार कार्ड
3. ग्राम पंचायत का प्रमाण–पत्र

लायक अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी जिन्होनें प्रार्थनापत्र में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी अपने गोद पिता के पिता का नाम पेमा के बजाय दयाराम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रतीत होता है कि प्रार्थी के गोद पिता के पिता का नाम दयाराम के बजाय पेमा कर दिया गया जो शुद्धि योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज ग्राम रेवलिया कलां पटवार हल्का रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर की खाता सं. 116 में दर्ज आराजी नं0 632 रकबा 0.08 हैक्टेयर के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के गोद पिता के पिता का नाम पेमा के बजाय दयाराम शुद्धि से इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरमामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ भिजाई जावे। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत भदेसर शिविर में टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:12:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner